वित्त निर्देश 56/2003

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492001.

क्रमांक 1000/ब-1/चार/2003 रायपुर, दिनांक 02 दिसम्बर, 2003

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय,रायपुर।

वषय:-मंडल/निकाय/निगम व अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा नये वाहन का क्रय व वाहन किराये पर लेने की प्रक्रिया का निर्धारण ।

.....

वित्त विभाग के मितव्ययता आदेश की कण्डिका क्रमांक 6.2(आदेश क्रमांक 320/ब-1/वित्त/चार, दिनांक 26.2.2002) के अनुसार नये वाहनों के क्रय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा आदेश क्रमांक 1253/ब-1/वित्त/2001,दिनांक 14.12.2001 द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों, निगमों, निकायों तथा मंडलों में वाहनों के क्रय के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये है, जिसमें कण्डिका-2(1) के अनुसार कोई भी नया वाहन वित्त विभाग के माध्यम से बजट में प्रावधान कराने के उपरान्त ही क्रय किया जाए ।

2. उपरोक्त प्रतिबंधों के बावजूद भी शासन को यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न निगम/मंडल विभाग उक्त निर्देशों का पालन किये बिना वाहन खरीद रहे है ऐसा कृत्य शासन के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है ।
3. शासन के निगम/मंडल/निकायों व अनुदान प्राप्त संस्थाओं के शासन की राशि ही वेष्ठित है चाहे वह अंशपूंजी में हो अथवा अनुदान के रूप में । उक्त राशि का अपव्यय करने की छूट स्वायत्तता के नाम पर नहीं दी जा सकती है ।
4. अत: सभी निगम/मंडल/निकायों व अनुदान प्राप्त संस्थाओं को निर्देश दिये जाते है कि वे वाहन खरीदने के प्रस्ताव को प्रथमत: पूर्ण औचित्यता के साथ निगम/मंडल निकाय के संचालक मंडल/परिषद् में रखें तथा उनके अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करें। तदुपरांत ही नये वाहन खरीदे जायें ।

5. इसी प्रकार वाहनों को किराये पर लेने पर भी शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है । यदि किराये पर वाहन लेना अत्यन्त आवश्यक है, तो किराये पर वाहन लेने में भी कण्डिका 4 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करें ।

6. छत्तीसगढ़ गठन के बाद अथवा निगम/मंडल/संस्था के गठन के बाद अभी तक जितने वाहन खरीदे गये है अथवा किराये पर लिये गये है । उसकी जानकारी भी 15 दिन के भीतर संलग्न प्रपत्र में वित्त विभाग को भेजी जायें ।

7. प्रशासकीय विभाग का दायित्व होगा कि वे उक्त निर्देश का पालन करवाना सुनिश्चित क करें ।यदि शासन के निर्देशों को लागू होने के प्रावधान निगम/निकाय/मंडल/सहायता प्राप्त संस्थाओं के संविधान में नहीं है तो उसमें संशोधन कर उक्त व्यवस्था शामिल की जावें ।

संलग्नः- प्रपत्र

(ए.के.विजयवर्गीय)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,वित्त विभाग

ifi=&2

fuxe@eMy@fudk;@vunku ikIr lLFkkvk }kjk fdjk; ij fy; x; okguk dh tkudkjh

d-	i'kkldh; foHkkx	fuxe@eMy@fudk; vunku ikIr lLFkk dk uke	fnukd 1-11-2000 d ckn fdjk; ij fy; x; okguk dh l[;k	okgu dk uke ekMy	fdjk; ij yu dk fnukd	fdjk; dh nj fd-eh- vFkok ekfld fdjk; ij	vHkh rd fd;k x;k 0;;	fdjk; ij fy; x; okgu dk fd;k x;k mi;kx vf/kdkjh dk uke	fdld Lrj ij fdjk; ij yu dh Lohdfr nh xb	fjekd
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10